BULANDSHAHR POLICE

दिनाँक 29 मार्च 2023 | **थाना अनूपशहर**

बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त राजेश की जमानत निरस्त करायी गयी-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राजेश पुत्र धर्मवीर निवासी सिंहाली नगर उर्फ सेरिया थाना अहार जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2019 में पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना अनूपशहर पर मुअसं 89/19 धारा-307 भादवि पंजीकृत है। उक्त अभियोग में थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। जो कुछ समय बाद जमानत पर जेल से बाहर आ गया था तथा मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नही हो रहा था। इसी दौरान अभियुक्त राजेश द्वारा दिनांक 03-12-2022 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत पैट्रोल पम्प पर लूट की घटना कारित की गयी। जिसके सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं-437/22 धारा 392 भादवि पंजीकृत किया गया तथा थाना स्याना पुलिस द्वारा दिनांक 07-12-2022 को पुलिस मुठभेड के दौरन अभियुक्त राजेश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा वर्तमान में अभियुक्त इस अभियोग में जेल में निरुद्ध हैं। थाना अनूपशहर पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 29-03-2023 को मा0 न्यायालय द्वारा मुअसं 89/19 धारा-307 भादवि में अभियुक्त राजेश की जमानत निरस्त की गयी। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त की जमानत निरस्त कराना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है। अभियुक्त राजेश शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध जनपद में गम्भीर अपराधों के लगभग तीन दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

मीडिया सेल बुलन्दशहर